उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी
घोड़ाखाल रोड, भवाली, जिला–नैनीताल, पिन कोड– 263132

लॉ डेटाबेस साफ्टवेयर (Law Database Software) की आपूर्ति हेतु पंजीकरण सूचना

उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल द्वारा लॉ डेटाबेस साफ्टवेयर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उबन्टू तथा विन्डोज़ (Ubuntu & Windows) संस्करण के क्रय हेतु प्रतिष्ठित निर्माता/अधिकृत विक्रेता फर्मों का 'उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008' के अनुसार पंजीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त कार्य हेतु इच्छुक फर्मों से पंजीकरण पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इस हेतु इच्छुक निर्माता/अधिकृत विक्रेता फर्म अनिवार्य रूप से निम्नलिखित प्ररूप पर आवेदन कर सकते हैं:–

1. फर्म का नाम–
2. फर्म का पता–
3. दूरभाष/मोबाइल संख्या–
4. प्रतिनिधि का नाम एवं पता–
5. ट्रेड टैक्स विभाग का टिन संख्या/पंजीकरण संख्या–
6. आयकर विभाग का पेन कार्ड–
7. विभिन्न राजकीय कार्यालयों/उपक्रमों तथा पुस्तकालयों में संतोषजनक आपूर्ति का प्रमाण–
8. फर्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाले साफ्टवेयर का निर्माता/अधिकृत विक्रेता फर्म विवरण :–

क्रम संख्या	निर्माता/अधिकृत विक्रेता फर्म नाम तथा पता	विवरण	
1	सॉफ्टवेयर का नाम		
2	आपरेटिंग सिस्टम पर उपलब्धता लाइनिक्स (उबन्टू) अथवा विन्डोज		
3	संस्थितिकरण का माध्यम यू0एस0बी0 डांगल अथवा रजिस्ट्रेशन		
	लॉ डेटाबेस साफ्टवेयर का संग्रह	कब से कब तक	निर्णयों की संख्या
4	मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1950 से अब तक पारित निर्णय		
5	मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2000 से अब तक पारित निर्णय		
6	मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय तथा उसकी लखनऊ पीठ द्वारा अब तक पारित निर्णय		
7	सेन्ट्रल एक्टस (बेयर एक्टस) (संख्या का भी उल्लेख करें)		
8	उत्तराखण्ड राज्य द्वारा पारित अधिनियमों (वर्ष 2000 से अब) तक की संख्या		

9	उत्तराखण्ड राज्य द्वारा वर्ष 2000 से अब तक का अधीनस्थ विधायन (Delegated Legislation), संख्या का उल्लेख करें	
10	उत्तराखण्ड राज्य द्वारा जारी अधिसूचनाओं: वर्ष 2000 से अब तक की संख्या	
11	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित अधिनियमों की संख्या	
12	उत्तर प्रदेश राज्य का अधीनस्थ विधायन (Delegated Legislation), संख्या का उल्लेख करें।	
13	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं की संख्या	
14	सॉफ्टवेयर निर्माता द्वारा अद्यतन की आवृत्ति का विवरण (Periodicity of updates)	
15	विधि शब्दकोष (Law Lexicon & Dictionary) की साफ्टवेयर में अन्तर्निहिता (availability)	
16	लॉ डेटाबेस सॉफ्टवेयर का क्रय आदेश प्रेषित किये जाने की तिथि से 31.03.2015 तक की अवधि के निःशुल्क नवीनकरण सहित मूल्य (वैट तथा सेवाकर का अलग से उल्लेख करें) Price of Law Database Software along with free updates from the dispatch of purchase order till 31.03.2015 (Mention VAT & Service Tax Separately)	
17	प्राथमिक संविदा अवधि (31.03.2015) के पश्चात् वार्षिक नवीनीकरण शुल्क (Annual renewal rates after 31.03.2015)	
18	अन्य विशेषताएं जिनका फर्म उल्लेख करना चाहे	
19	की लॉ डेटाबेस सॉफ्टवेयर फर्म प्ररूप में उल्लिखित संकलन (Database) के अतिरिक्त अपने लॉ डेटाबेस को 31.03.2015 के Updation सहित जिस मूल्य पर उपलब्ध करा सकती हैं का भी उल्लेख करें।	

उक्त सूचना के साक्ष्य हेतु प्रमाण संलग्न किये जाने आवश्यक हैं। समस्त सूचनाएं दिनांक 13.09.2011 तक मुहरबंद लिफाफे में जिस पर लॉ डेटाबेस साफ्टवेयर (Law Database Software) की आपूर्ति हेतु पंजीकरण लिखा हो, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के भवाली, जिला–नैनीताल में स्थित कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है। इस तिथि के पश्चात् कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। उक्त सूचनायें पूर्ण न होने पर आवेदन पत्र पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

लॉ डेटाबेस सॉफ्टवेयर की आपूर्ति हेतु पंजीकरण के नियम एवं शर्तों का अवलोकन मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की वेबसाईट http://www.highcourtofuttarakhand.gov.in तथा राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) की वेबसाईट http://www.uk.gov.in पर भी किया जा सकता है।

संयुक्त निदेशक (लेखा)

उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के उपयोगार्थ वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए लॉ डेटाबेस सॉफ्टवेयर की आपूर्ति हेतु पंजीकरण के नियम एवं शर्ते

1. फर्म का ट्रेड टैक्स विभाग का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है तथा रजिस्ट्रेशन की प्रति प्रस्तुत की जानी अनिवार्य होगी।
2. आयकर विभाग के पैन कार्ड की प्रति संलग्न की जानी आवश्यक होगी।
3. फर्म द्वारा विभिन्न राजकीय कार्यालयों/उपक्रमों/संस्थानों/न्यायालयों तथा पुस्तकालयों में संतोषजनक आपूर्ति का प्रमाण पत्र अथवा क्रय आदेश उपलब्ध कराना आवश्यक है।
4. फर्म द्वारा लॉ डेटाबेस सॉफ्टवेयर का संस्थीकरण उत्तराखण्ड राज्य के सभी जिलों में विभिन्न स्थानों में स्थित अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के आवास/कार्यालय में उपलब्ध लैपटॉप/डैस्कटॉप कम्प्यूटर्स पर किया जायेगा।
5. लॉ डेटाबेस सॉफ्टवेयर के उपयोग की तकनीकी जानकारी तथा प्रशिक्षण उत्तराखण्ड राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों को उनकी तैनाती के स्थान पर देने की पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी।
6. लॉ डेटाबेस सॉफ्टवेयर के संस्थीकरण, प्रशिक्षण, किसी भी तकनीकी खराबी आने पर फर्म के किसी भी कर्मचारी द्वारा भ्रमण पर तथा अद्यतन (updates) हेतु मार्ग व्यय अथवा कोई अन्य भत्ता अकादमी द्वारा देय नहीं होगा।
7. फर्म द्वारा लॉ डेटाबेस सॉफ्टवेयर के सॉफ्टवेयर निर्माता द्वारा अद्यतन की आवृत्ति तथा माध्यम, ऑनलाइन/सी0डी0 का विवरण (Periodicity of updates & Medium, C.D./Online) तथा वार्षिक नवीनीकरण की धनराशि के बारे में स्पष्ट उल्लेख किया जाना अनिवार्य है।
8. फर्म द्वारा लॉ डेटाबेस सॉफ्टवेयर का मूल्य क्रय आदेश जारी किये जाने से 31.03.2015 की अवधि तक निःशुल्क अद्यतन (updates) सहित दिया जायेगा।
9. लॉ डेटाबेस सॉफ्टवेयर के किसी भी कम्प्यूटर पर ठीक प्रकार से कार्य न करने अथवा तकनीकी खराबी आने की सूचना पर फर्म द्वारा 48 घंटे की भीतर ही उक्त समस्या का निवारण किया जायेगा ।
10. लॉ डेटाबेस सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता एवं विशिष्टिता का परीक्षण क्रय समिति द्वारा किया जाएगा तथा गुणवत्ता एवं विशिष्टता के आधार पर क्रय समिति द्वारा लिया गया निर्णय

सभी फर्मों को मान्य होगा। यदि आवश्यक हो तो तकनीकी समिति द्वारा फर्म को डेमोन्स्ट्रेशन (Demonstration) हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत होना होगा।

11. फर्मों द्वारा दरें वैट एवं सेवा कर को अलग–अलग करते हुए प्रस्तुत की जायेंगी।

12. अकादमी द्वारा क्रय आदेश प्रेषित करने के एक महीने के भीतर सॉफ्टवेयर का उत्तराखण्ड राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के कम्प्यूटर्स पर संस्थीकरण तथा प्रशिक्षण देना फर्म द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

13. लॉ डेटाबेस सॉफ्टवेयर के सम्पूर्ण तथा संतोषजनक संस्थीकरण तथा प्रशिक्षण के उपरान्त अकादमी द्वारा फर्म को क्रय आदेश के अनुसार बीजक में उल्लिखित धनराशि का भुगतान किया जायेगा, आपूर्तिकर्ता फर्म को अकादमी द्वारा भुगतान से पूर्व ₹ 3,00,000/- (रुपये तीन लाख मात्र) धनराशि का एफ.डी.आर. (F.D.R.) निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के पक्ष में बंधक किया जाना होगा, जिसे संतोषजनक सेवा (निरन्तर अद्यतन updates तथा संस्थीकरण के उपरान्त सेवा After Installation Support) की स्थिति में मार्च, 2015 में वापस कर दिया जायेगा।

14. फर्म द्वारा इस अवधि में संतोषजनक सेवा न दे पाने की स्थिति में उपरोक्त एफ.डी.आर. (F.D.R. धनराशि ₹ 3,00,000/-) अकादमी के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा।

15. सभी पंजीकरणों को निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी द्वारा बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है तथा किसी भी विवाद की स्थिति में उनका निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

नोट :– भारत की लॉ डेटाबेस सॉफ्टवेयर फर्में, प्ररूप में उल्लिखित संकलन (Database) के अतिरिक्त अपने लॉ डेटाबेस को 31.08.2011 तक के अद्यतन तथा नवीनीकरण renewal and Updation सहित जिस मूल्य पर उपलब्ध करा सकती हैं का निर्धारित प्ररूप के कॉलम नं0 19 में उल्लेख करें।

(डी0/एस0 बोनाल)
संयुक्त निदेशक (लेखा)